राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 93/2023

धन पुत्र श्री कस्तूरा, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी गांव - ओबरी, तहसील - सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। ----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर, राजस्थान।

3. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर, राजस्थान।

4. छात्रावास अधीक्षक, राजकीय अंबेडकर छात्रावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ओबरी, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

5. राजस्थान राज्य अपने सचिव, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग (टीएडी), सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

6. आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास (टीएडी), उदयपुर, राजस्थान।

7. उपायुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास (टीएडी), डूंगरपुर, राजस्थान।

8. छात्रावास अधीक्षक, बालक छात्रावास, ओबरी (टीएडी), जिला डूंगरपुर, राजस्थान। ----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री संजय राज पालीवाल

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, एएजी साथ में

श्री अक्षय सिंह राजपुरोहित

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

09/05/2024

1. सुनवाई हुई।

2. अपीलकर्ता ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12301/2020 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 26.10.2021 के आदेश की सत्यता और वैधता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ता को सरकारी छात्रावास में वॉशरूम/शौचालय की सफाई सहित सफाई के काम के लिए बीच-बीच में लगाया गया था, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ओबरी, जिला डूंगरपुर से जुड़ा हुआ था (अब उक्त छात्रावास को जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है)। अपीलकर्ता ने जुलाई, 2003 से अक्टूबर, 2019 तक काम किया और उसके बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

4. अपीलकर्ता की नौकरी बंद करने के प्रतिवादियों की कार्रवाई से व्यथित होकर, 21.10.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके द्वारा स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के पद के लिए न्यूनतम वेतनमान के भुगतान की मांग करने वाले अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के पद पर नियमित वेतनमान और/या किसी अन्य समकक्ष पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ, उसके द्वारा प्रदान की गई 17 वर्षों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश देने की भी प्रार्थना की।

5. हालांकि, प्रतिवादियों ने मुख्य रूप से इस आधार पर मांगी गई राहत का विरोध किया कि वह पूरे कार्य घंटों के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सुबह केवल थोड़े समय के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया था और बाद में, उसने स्वयं 01.11.2019 से स्वेच्छा से काम पर आना बंद कर दिया।

6. प्रतिवादी-राज्य द्वारा अपनाए गए रुख को स्वीकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 26.10.2021 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह अपील उत्पन्न हुई।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को जुलाई, 2003 में सरकारी छात्रावास में सफाई कार्य करने के लिए स्वीपर (सफाई

कर्मचारी) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे उसने वर्ष 2019 में अपनी नौकरी से हटाए जाने तक निभाया। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि अपीलकर्ता ने लंबे समय तक काम किया है, इसलिए उसकी सेवाओं को स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के पद पर नियमित किया जाना चाहिए।

8. पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। [1 एससीसी 148] में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता अन्य स्वीकार्य भत्तों के साथ वेतनमान के न्यूनतम भत्ते का भी हकदार है।

9. उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी-राज्य ने अपीलकर्ता को न तो उसकी सेवाओं को नियमित करने और न ही उसे स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के पद के लिए निर्दिष्ट वेतनमान के न्यूनतम वेतन का भुगतान करके दुख और शोषण का सामना करना पड़ा है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को वेतन बिक्री के न्यूनतम भुगतान और उसकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रतिवादियों ने उत्तर में एक विशिष्ट रुख अपनाया है कि अपीलकर्ता को कभी भी किसी आदेश द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उसे केवल छात्रावास में सफाई का काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता का काम दिन के केवल कुछ घंटों के लिए था, न कि पूरे दिन के लिए।

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभिलेख से पता चलता है कि अपीलकर्ता से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाता था तथा ऐसा नहीं है कि वह प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता था, बल्कि वह कुछ दिनों के लिए सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता था,

इसलिए यह कार्य की निरंतरता नहीं थी। इसलिए जगजीत सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे।

12. रिट याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, वे इस आशय की हैं कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को निश्चित भुगतान पर सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुलग्नक-1 प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि अपीलकर्ता सरकारी अंबेडकर छात्रावास, ओबरी, डूंगरपुर में सफाई कर्मचारी के रूप में नियमित रूप से सफाई के कार्य में लगा हुआ था। 14.12.2018 को जारी दूसरे प्रमाण पत्र में भी कहा गया है कि वह 2003-04 से सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित रूप से काम कर रहा है। वेतन भुगतान से संबंधित दस्तावेज भी याचिका के साथ संलग्न किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए निश्चित राशि का भुगतान किया गया है। हालांकि, याचिका के साथ कोई नियुक्ति आदेश संलग्न नहीं किया गया है और न ही रिट याचिका में नियुक्ति आदेश जारी करने की कोई विशेष तिथि का उल्लेख किया गया है।

13. प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में हलफनामे पर स्पष्ट रुख अपनाया है कि अपीलकर्ता को कभी भी स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के पद पर नियुक्त नहीं किया गया और अस्थायी या संविदा के आधार पर भी नियुक्ति नहीं की गई, बल्कि उसकी सेवाओं का उपयोग कॉल के आधार पर किया गया, जिसका अर्थ है कि जब भी आवश्यकता होती थी, अपीलकर्ता को बुलाया जाता था और ज्यादातर एक घंटे की अवधि के भीतर वह आवश्यक कार्य से मुक्त हो जाता था। उसने कभी भी कार्य दिवस में पूरे आठ घंटे अपनी सेवाएं नहीं दी। इसलिए, नियमित वेतनमान देने का दावा, वेतनमान के न्यूनतम से भी कम, अस्वीकार कर दिया गया।

14. याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी न होने के कारण, यह मानना मुश्किल है कि स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के किसी रिक्त पद पर उचित नियुक्ति की गई है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कोई रिक्त पद मौजूद था, जिसके लिए अपीलकर्ता को काम पर लगाया गया था।

15. यदि यही स्थिति है, तो हम इस प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता को सफाई कर्मचारी के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाना चाहिए।

16. न्यायालय के समक्ष कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि संबंधित छात्रावास में या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बड़े प्रतिष्ठान में स्वीपर (सफाई कर्मचारी) का कोई पद था या नहीं। इसलिए, रिक्तियों के अस्तित्व, ऐसे पद के लिए निर्धारित वेतनमान और किसी नियुक्ति आदेश के संबंध में आधारभूत तथ्य के अभाव में, जगजीत सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित दावा अपीलकर्ता को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

17. हालांकि, हम पाते हैं कि यह निर्विवाद स्थिति है कि अपीलकर्ता जुलाई, 2003 से अक्टूबर, 2019 में अपनी सेवाएं समाप्त होने तक स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के रूप में काम कर रहा था। रिट याचिका के साथ जो प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं, उन पर विवाद नहीं किया गया है। जवाब में यह दावा किया गया है कि सेवाएं कॉल के आधार पर ली जाती थीं, जो प्रतिवादियों के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के खिलाफ है। इसलिए, हमें प्रमाण पत्रों में कही गई बातों को स्वीकार करना होगा कि 2003 से अपीलकर्ता नियमित रूप से स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के रूप में काम कर रहा था।

18. भले ही इसे रोजगार कहा जा सकता है, न कि नियुक्ति, इस अर्थ में कि अपीलकर्ता के पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी किया गया था और भले ही हम यह मान लें कि उसे स्वीपर (सफाई कर्मचारी) के किसी पद के बिना काम करने के लिए कहा गया था, फिर भी अपीलकर्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दी गई न्यूनतम सुरक्षा का हकदार था।

19. 08.05.2024 को, हमने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया था कि वे अपीलकर्ता की नियुक्ति/रोजगार की तारीख से लेकर उसकी सेवाएं समाप्त होने की तारीख तक लागू न्यूनतम मजदूरी के संबंध में विवरण हमारे सामने रखें।

20. हमारे समक्ष निम्नलिखित न्यूनतम मजदूरी प्रस्तुत की गई है:

क्र. सं.	प्रभावी से	अकुशल	अर्ध-कुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिसूचना की तिथि
7 .	16.11.1999	1560/- प्रति माह 60.00/- प्रति दिन	1644/- प्रति माह 64.00/- प्रति दिन	1768/- प्रति माह 68.00/- प्रति दिन	-	11.11.1999
8.	20.07.2004	1898/- प्रति माह 73.00/- प्रति दिन	2002/- प्रति माह 77.00/- प्रति दिन	2106/- प्रति माह 81.00/- प्रति दिन	-	20.07.2004
9.	01.03.2008	2600/- प्रति माह 100.00/- प्रति दिन	2782/- प्रति माह 107.00/- प्रति दिन	2990/- प्रति माह 115.00/- प्रति दिन	-	24.05.2008
10.	01.01.2011	3510/- प्रति माह 135.00/- प्रति दिन	3770/- प्रति माह 145.00/- प्रति दिन	4030/- प्रति माह 155.00/- प्रति दिन	5330/- प्रति माह 205.00/- प्रति दिन	27.12.2010
11.	01.05.2012	3822/- प्रति माह 147.00/- प्रति दिन	4082/- प्रति माह 157.00/- प्रति दिन	4342/- प्रति माह 167.00/- प्रति दिन	5642/- प्रति माह 217.00/- प्रति दिन	06.08.2012
12.	01.01.2013	4316/- प्रति माह 166.00/- प्रति दिन	4576/- प्रति माह 176.00/- प्रति दिन	4836/- प्रति माह 186.00/- प्रति दिन	6136/- प्रति माह 236.00/- प्रति दिन	01.05.2013
13.	01.01.2014	4914/- प्रति माह 189.00/- प्रति दिन	5174/- प्रति माह 199.00/- प्रति दिन	5434/- प्रति माह 209.00/- प्रति दिन	6734/- प्रति माह 259.00/- प्रति दिन	29.01.2015

14.	01.01.2015	5122/- प्रति माह 197.00/- प्रति दिन	5382/- प्रति माह 207.00/- प्रति दिन	5642/- प्रति माह 217.00/- प्रति दिन	6942/- प्रति माह 267.00/- प्रति दिन	21.12.2015
15.	01.04.2016	5226/- प्रति माह 201.00/- प्रति दिन	5486/- प्रति माह 211.00/- प्रति दिन	5746/- प्रति माह 221.00/- प्रति दिन	7046/- प्रति माह 271.00/- प्रति दिन	05.07.2016
16.	01.01.2017	5382/- प्रति माह 207.00/- प्रति दिन	5642/- प्रति माह 217.00/- प्रति दिन	5902/- प्रति माह 227.00/- प्रति दिन	7202/- प्रति माह 277.00/- प्रति दिन	03.07.2017
17.	01.01.2018	5538/- प्रति माह 213.00/- प्रति दिन	5798/- प्रति माह 223.00/- प्रति दिन	6058/- प्रति माह 233.00/- प्रति दिन	7358/- प्रति माह 283.00/- प्रति दिन	12.06.2018
18.	01.05.2019	5850/- प्रति माह 225.00/- प्रति दिन	6162/- प्रति माह 237.00/- प्रति दिन	6474/- प्रति माह 249.00/- प्रति दिन	7774/- प्रति माह 299.00/- प्रति दिन	21.08.2020

21. इसलिए अपीलकर्ता अकुशल श्रमिकों के लिए कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का हकदार था।

22. याचिका में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता को 30 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा था। वेतन पर्चियां भी संलग्न की गई हैं। हालांकि, हम पाते हैं कि वर्ष 2003 में जब अपीलकर्ता कार्यरत था, तब भी मौजूदा वेतन 1,560 रुपये प्रति माह (60 रुपये प्रति दिन) था।

23. हमने रिट याचिका के साथ संलग्न वेतन पर्चियों पर भी गौर किया है। इसी तरह बाद की सभी अवधि के लिए, जब भी न्यूनतम मजदूरी संशोधित की गई, अपीलकर्ता मासिक आधार पर दिनों के लिए मजदूरी का हकदार था क्योंकि वेतन पर्चियों के साथ-साथ अपीलकर्ता के पक्ष में जारी किए गए प्रमाण पत्र से पता चलता है कि वह नियमित रूप से काम कर रहा था और किसी भी महीने में बीच-बीच में काम नहीं कर रहा था। इसलिए, उस मामले

में, वह मासिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा न कि प्रति दिन के आधार पर।

24. जाहिर है, अपीलकर्ता को देय न्यूनतम मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, हालांकि उसे कुछ राशि का भुगतान किया जा रहा था।

25. हमारा मानना है कि उसके रोजगार की तारीख से लेकर उसके सेवामुक्त होने की तारीख तक, अपीलकर्ता अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति माह का हकदार था, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता था। नियुक्ति की तारीख और काम से अलग होने की तारीख को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता अकुशल श्रमिक के लिए मासिक मजदूरी का हकदार होगा जो 16.11.1999 से 01.05.2019 तक प्रभावी थी।

26. अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर भी अस्वीकार कर दिया गया है कि चूंकि वह केवल कुछ घंटों के लिए काम कर रहा था और पूरे आठ घंटे नहीं, इसलिए वह पूरी मजदूरी का हकदार नहीं था। इस तर्क को जयपुर स्थित इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्शन देवी बनाम प्राधिकरण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, अलवर एवं अन्य [2023 एससीसी ऑनलाइन राज 4692] के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर सिरे से खारिज किया जाना आवश्यक है। उस मामले में भी ऐसा ही विवाद उठा था, जिसमें पूर्ण दैनिक मजदूरी भी इस आधार पर देने से इनकार कर दिया गया था कि कर्मचारी (सफाई कर्मचारी) आठ घंटे काम नहीं कर रहा था, बल्कि दिन में केवल कुछ घंटे काम कर रहा था। इस न्यायालय ने राज्य-नियोक्ता की ओर से दिए गए तर्क को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि काम के घंटों की संख्या के बावजूद सफाई कर्मचारी पूरे दिन की मजदूरी का हकदार होगा।

27. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, अपीलकर्ता को मासिक मजदूरी भी देय है, क्योंकि प्रमाण पत्र और वेतन पर्चियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता मासिक आधार पर कार्यरत था, दैनिक आधार पर नहीं।

28. हमें वर्षों से न्यूनतम वेतन के आधार पर सफाई कर्मचारी रखने की प्रथा की निंदा करनी चाहिए, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने 2003 से 2019 तक सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि काम की प्रकृति बारहमासी थी। वास्तव में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी संस्थान में सफाई का काम अस्थायी प्रकृति का है। शौचालय, गलियारे और इमारत के अन्य हिस्सों की प्रतिदिन लगातार सफाई की आवश्यकता होती है। यह आश्चर्यजनक है कि ऐसे काम को बारहमासी प्रकृति का काम नहीं माना जा रहा है। उद्देश्य नियमित कर्मचारी के रूप में दर्जा देने से इनकार करना प्रतीत होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रावास सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित है और इसका नाम "सरकारी अंबेडकर छात्रावास" रखा गया था। हालाँकि, जिस तरह से प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के साथ व्यवहार किया है, उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मूल संवैधानिक विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अपीलकर्ता को शोषण के अधीन किया है। प्रतिवादी एक कल्याणकारी राज्य है। दशकों से सफाई कर्मचारियों को शोषणकारी शर्तों पर नियुक्त करना, बिना पद सृजित किए न्यूनतम वेतन पर काम करवाना और उन्हें नियमित नियुक्ति देना, उन्हें नियमित दर्जा और वेतनमान से वंचित करने का एक तरीका है, जो सफाई कर्मचारी के पद के लिए लागू है। हम इस बात से पूरी तरह से असमंजस में हैं कि सरकारी छात्रावास में सफाई कर्मचारी का पद क्यों स्वीकृत नहीं किया गया और अपीलकर्ता से इतने लंबे समय तक लगभग डेढ़ दशक तक काम क्यों लिया

गया। यह राज्य के हाथों सरासर शोषण का मामला है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

29. कुल मिलाकर, चूंकि कोई पद नहीं था और अपीलकर्ता छात्रावास की सफाई के काम में लगा हुआ था, इसलिए हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सफाई कर्मचारी के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उस संस्थान में कोई पद नहीं है, जहां अपीलकर्ता 2003 से 2019 तक कार्यरत था और काम करता था।

30. हालांकि, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता का ईमानदारी से पालन किया जाना था, यह एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि अपीलकर्ता को राज्य प्राधिकरण और उसके अधिकारियों द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ा। अपीलकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से लेकर उसके रोजगार बंद होने की तारीख तक मासिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक है, जो अकुशल श्रमिक को 16.11.1999 से देय है, जिसे समय-समय पर 01.05.2019 तक संशोधित किया गया है। इसके अलावा, हमारा विचार है कि जिस तरह से अपीलकर्ता को डेढ़ दशक से न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करके शोषण का शिकार होना पड़ा है, राज्य को भी अनुकरणीय लागत का बोझ उठाना चाहिए। इसलिए, हम प्रतिवादियों को अपीलकर्ता को 1,00,000/-(एक लाख) रुपये की अनुकरणीय लागत का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। न्यूनतम मजदूरी की राशि तीन महीने की अवधि के भीतर बिना चूके तय की जाएगी।

31. प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी का बकाया तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को भुगतान किया जाए।

32. उपर्युक्त विचार के मद्देनजर, अपील को अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका को ऊपर बताए गए तरीके से अनुमति दी जाती है।

(मुन्नूरी लक्ष्मण), जे **(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे**

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।